

पत्र सं०- 5/पी०-65/2021-247(5)ब, राँची /स्वा०,

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।


शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-23(5)ब यो०, दिनांक-20.05.2022 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत झारखण्ड राज्य की शहरी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में आवासित लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के निमित्त अटल मुहल्ला क्लीनिक के संचालन प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु कुल 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़) रुपये की स्वीकृति दी गई है।

उक्त स्वीकृत्यादेश के विषय एवं कंडिका संख्या-1 तथा 6 में अंकित वर्ष 2022-23 को संशोधित रूप में वित्तीय वर्ष 2022-24 पढ़ा जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।


विश्वासभाजन,



(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।


ज्ञापांक- 5/पी०-65/2021-247(5)ब, राँची, दिनांक: 31.03.2023

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
4. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव।
6. सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. प्रभारी पदाधिकारी, PMU कोषांग, स्वास्थ्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।


(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
संयुक्त सचिव।


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।